दिनांक/Date: 31.03.2023

प्रेस विज्ञप्ति
Press Release

आईआरडीएआई ने प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) की सूची – 2022-23 जारी की है

IRDAI releases 2022-23 – List of Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs)

डी-एसआईआईएस की 2021-22 सूची में विद्यमान स्थिति के अनुसार ही, एलआईसी, जीआईसी आरई, और न्यू इंडिया का देशी तौर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआईएस) के रूप में अभिनिर्धारित किया जाना जारी है।
LIC, GIC Re., and New India continue to be identified as Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs), as in the 2021-22 list of D-SIIs.

वर्ष 2022-23 के लिए डी-एसआईआईएस की सूची निम्नानुसार हैः
The list of D-SIIs for the year 2022-23 is as follows:

1. **भारतीय जीवन बीमा निगम;**
   Life Insurance Corporation of India;
2. **भारतीय साधारण बीमा निगम; और**
   General Insurance Corporation of India; and
3. **न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.**
   New India Assurance Co. Ltd.

पृष्ठभूमिः
Background:

1. प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण देशी बीमाकर्ताओं से आशय ऐसे आकार, बाजार महत्व, तथा देशी और वैश्विक अंतरसंबद्धता से युक्त बीमाकर्ताओं से है, जिनका संकट अथवा जिनकी विफलता देशी वित्तीय प्रणाली में उल्लेखनीय अव्यवस्था का कारण बनती है। अतः राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बीमा सेवाओं की अविच्छिन्न उपलब्धता के लिए डी-एसआईआईएस का निरंतर कार्यचालन महत्वपूर्ण है।
Domestic Systemically Important Insurers (D-SIIs) refer to insurers of such size, market importance, and domestic and global interconnectedness, whose distress or failure would cause a significant dislocation in the domestic financial system. Therefore, the continued functioning of D-SIIs is critical for the uninterrupted availability of insurance services to the national economy.

2. डी-एसआईआईएस को ऐसे बीमाकर्ताओं के रूप में समझा जाता है वे `इतने बड़े या इतने महत्वपूर्ण हैं कि विफल नहीं हो सकते' (टीबीटीएफ)। यह अवबोधन और सरकारी समर्थन की अनुभूत प्रत्याशा जोखिम-स्वीकरण को बढ़ा सकती है, बाजार अनुशासन को कम कर सकती है, प्रतिस्पर्धात्मक विकृतियों का निर्माण कर सकती है, तथा भविष्य में संकट की संभावना में वृद्धि कर सकती है। इन विचारों की अपेक्षा है कि डी-एसआईआईएस को प्रणालीगत जोखिमों और नैतिक परिसंकट की समस्याओं से निपटने के लिए अतिरिक्त विनियामक उपायों के अधीन कर देना चाहिए।

D-SIIs are perceived as insurers that are 'too big or too important to fail' (TBTF). This perception and perceived expectation of government support may amplify risk-taking, reduce market discipline, create competitive distortions, and increase the possibility of distress in the future. These considerations require that D-SIIs be subjected to additional regulatory measures to deal with systemic risks and moral hazard issues.

3. डी-एसआईआईएस के परिचालनों के स्वरूप और उनके प्रणालीगत महत्व को देखते हुए, इन बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित के संबंध में अपने प्रयास आगे बढ़ाने होंगेः

Given the nature of their operations and the systemic importance of the D-SIIs, these insurers have to carry forward their efforts on the following:

(i) कंपनी अभिशासन (कारपोरेट गवर्नेंस) के स्तर का उन्नयन करना;
Raise the level of Corporate governance;

(ii) सभी संबंधित जोखिमों की पहचान करना और एक सुदृढ़ जोखिम प्रबंध ढाँचे और संस्कृति का संवर्धन करना।
Identify all relevant risks and promote a sound risk management framework and culture.

4. डी-एसआईआईएस को संवर्धित विनियामक पर्यवेक्षण के अधीन किया जा रहा है।

D-SIIs are being subjected to enhanced regulatory supervision.

****